

# राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड जयपुर

क्रमांक: प 7 (2070) लेखा/रा.गां.कृ.सा.यो./वि.बो./2019-20/

कार्यालय आदेश

दिनांक-

राजीव गाँधी कृषि साथी योजना 2009 के प्रकरणों का अनुमोदन प्रशासक महोदय द्वारा करने पर निम्नांकित व्यक्तियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित राशि का भुगतान सम्बन्धित कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा किये जाने के फलस्वरूप उक्त राशि का पुनर्भरण मण्डी समितियों को किये जाने की एतद् द्वारा इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है कि भविष्य में यदि दावेदार से वसूली बनती है/अंकेशन आरोप गठित होता है तो उसके जवाब एवं वसूली के लिये मण्डी समिति उत्तरदायी होगी:- अगस्त, 2020

क्र.सं.	कृषि उपज मण्डी समिति का नाम	पत्र क्रमांक एवं दिनांक	दावेदार का नाम	मृतक/चोटग्रस्त व्यक्ति का नाम एवं सम्बन्ध	दुर्घटना की दिनांक	मृत्यु/दुर्घटना का विवरण	पुनर्भरण भुगतान राशि प्रति प्रकरण (रुपये)	मण्डीवार पुनर्भरण राशि (रुपयों में)
1	केशोरायपाटन (बून्दी)	309-11/07.07.2020	श्रीमति बन्दी बाई पत्नि श्री खाना	श्री खाना, पति	05.09.2019	खेत पर मक्का की फसल में खरपतवार हटाते समय सर्पदश से मृत्यु	200000	
2	केशोरायपाटन (बून्दी)	309-11/07.07.2020	श्रीमति रूपा बाई पत्नि श्री हरिमोहन	श्री हरिमोहन, पति	11.09.2019	खेत पर कृषि कार्य करने के दौरान सर्पदश के कारण मृत्यु	200000	
3	केशोरायपाटन (बून्दी)	309-11/07.07.2020	श्री बन्दी प्रजापत पुत्र श्री मोतीलाल	स्वयं	05.12.2019	कृषि कार्य हेतु खेत पर चारा काटते समय एक अंगुली कटी	5000	
4	केशोरायपाटन (बून्दी)	309-11/07.07.2020	श्री प्रदीप मीणा पुत्र श्री रामदेव	स्वयं	21.10.2019	खेत पर थ्रेसर से सोयाबीन निकालते समय बायें हाथ का पंजा कट गया	15000	
5	केशोरायपाटन (बून्दी)	309-11/07.07.2020	श्री कृष्णमुरारी पुत्र श्री छोटूलाल	स्वयं	19.01.2020	खेत पर कुट्टी मशीन से चारा काटते समय दाये हाथ की एक अंगुली कटी	5000	425000
6	रावतसर (हनुमानगढ़)	309-11/07.07.2020	श्री बृजलाल पुत्र श्री मनफूल राम	स्वयं	09.07.2019	खेत में मशीन द्वारा पशुओं के लिये हराचारा की कटाई करते समय दाया हाथ पुरा क्षतिग्रस्त	25000	
7	रावतसर (हनुमानगढ़)	309-11/07.07.2020	श्री जेता पत्नि श्री कृष्णचंद	स्वयं	10.08.2019	खेत में मशीन द्वारा पशुओं के लिये हराचारा की कटाई करते समय दाया हाथ का पुरा पंजा क्षतिग्रस्त	25000	